प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.07.2026

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 19.07.2025 को थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दो अभियुक्तगण 1.अजय उर्फ काला पुत्र राहुल नि0 महरौली थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष 2. प्रशान्त उर्फ लक्की पुत्र विनोद नि0 महरौली थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को 04 मोटरसाइकिल 1. मोटर साइकिल स्पलेण्डर जिसकी आगे व पीछे की नम्बर प्लेट नहीं है तथा जिसका चैसिस न0 MBLHAW485SGF02700 अंकित है संवंधित मु0अ0सं0 0200/2026 थाना पिलखुवा जिला हापुड 2. मो0सा0 अपाची बिना न0 प्लेट रंग सफेद जिसका चैसिस न0 MD634AE88L2B11728 संवंधित मु0अ0सं0 016364/26 थाना पटपडगंज औधोगिक क्षेत्र जिला ईस्ट दिल्ली 3. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना न0 प्लेट रंग सफेद जिसका चैसिस न0 MBLHAW120NHLC8803 4. मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना न0 प्लेट रंग सफेद जिसका चैसिस न0 MBLHAW222RHK68046 के साथ नायफल की तरफ जाने वाले रास्ते पर स्विंगपूल जाने वाले रास्ते से 100 कदम आगे से गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों महरौली वेवसिटी के रहने वाले है और हम दोनों ही नशा करने का आदी है तथा हम रेकी कर अलग-अलग जगहों से मोटरसाइकिल चोरी कर लेते है। हमसे 04 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है इनको हमनें अलग अलग स्थानों से चोरी की थी उन्हें बेचकर उन पैसो से अपने खर्चो की पूर्ति करते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1.अजय उर्फ काला पुत्र राहुल नि0 महरौली थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

2. प्रशान्त उर्फ लक्की पुत्र विनोद नि0 महरौली थाना वेवसिटी कमि0 गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 मो0सा स्पलेण्डर बिना नम्बर प्लेट चैसिस न0 MBLHAW485SGF02700
- 01 मो0सा0 अपाची बिना न0 प्लेट रंग सफेद चैसिस न0 MD634AE88L2B11728
- 01मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना न0 प्लेट चैसिस न0 MBLHAW120NHLC8803

- 01मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस रंग काला बिना न0 प्लेट रंग सफेद चैसिस न0 MBLHAW222RHK68046

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना वेवसिटी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फ्लैट/दुकान बुकिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मुकदमे में वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

थाना नन्दग्राम पर दिनांक-28/06/2026 वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 385/2026 तथा दिनांक 16/07/2026 को वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 428/2026 में पंजीकृत धोखाधड़ी के प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त I हनी गिल पुत्र स्व० विजय चौधरी 2. प्रेम गिल पुत्र स्व० विजय चौधरी 3 सुरभी शर्मा पत्नी दीपक शर्मा उर्फ नितिन शर्मा 4. मानसी प्रकाश पत्नी दीपक शर्मा उर्फ नितिन शर्मा को दिनांक 19.07.2026 को गिरफ्तार किया गया।

उक्त मुकदमा M/s ASR Realtech Limited एवं M/s Right Earth Infra LLP की परियोजनाओं में फ्लैट/दुकान बुकिंग के नाम पर निवेशकों से करोड़ों रुपये लेकर कूटरचित मूल्यवान प्रतिभूति के प्रपत्रों को देकर धोखाधड़ी करने के आरोप में पंजीकृत है। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, बैंक खातों एवं अन्य दस्तावेजों के परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निवेशकों से प्राप्त धनराशि अभियुक्ततगणो द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत धोखाधड़ी करते हुए कूटरचित मूल्यवान प्रतिभूति के प्रपत्रों को देकर निवेशकों का पैसा हडप लिया है जो अभियुक्तगणों के बैंक खाते में भी प्राप्त हुआ है। तथा निवेशको के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसकी संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का नाम व पता -

1. हनी गिल पुत्र स्व० विजय चौधरी माता का नाम राजिन्द्र कौर वर्तमान पता ए- 1008 हाई एण्ड पैराडाईज, राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद
2. प्रेम गिल पुत्र स्व० विजय चौधरी निवासी ए- 1008 हाई एण्ड पैराडाईज, राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद
3. सुरभी शर्मा पत्नि नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा निवासी फ्लैट न0 E-15 फोर्थ फ्लोर राज गार्डन सिटी , राजनगर एक्शटैन्सन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद
4. मानसी प्रकाश पत्नि नितिन शर्मा उर्फ दीपक शर्मा निवासी फ्लैट न0 E-911 निलाया ग्रीन थाना मधुबन बापुधाम गाजियाबाद

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, एसआईटी गठित कर घटना में वांछित अभियुक्तगण 1. हनी गिल पुत्र स्व० विजय चौधरी 2. प्रेम गिल पुत्र स्व० विजय चौधरी 3. सुरभी शर्मा पत्नी दीपक शर्मा उर्फ नितिन शर्मा 4. मानसी प्रकाश पत्नी दीपक शर्मा उर्फ नितिन शर्मा उपरोक्त की तलाश में उच्चाधिकारी गणो के आदेश के क्रम मे एसआईटी प्रभारी/विवेचक निरीक्षक सतराज सिंह, थाना पुलिस टीम

एवं महिला पुलिस की टीम द्वारा अभियुक्ता सुरभी शर्मा व मानसी प्रकाश को उनके मकान ई 15 राज गार्डन सिटी राजनगर एक्सटेंशन से तथा अभियुक्तगण हनी गिल व प्रेम गिल को दिल्ली मेरठ रोड से गिरफ्तार किया है। जब मुझ निरीक्षक को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मुकदमा उपरोक्त की वांछित अभियुक्तगण है। अभियुक्तगण को विधिक/नियमानुसार माननीय न्यायालय में पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारी अभियुक्तगणों का न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत कर जिला कारागार डासना भेजा गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

एसआईटी प्रभारी निरीक्षक श्री सतराज सिंह एसआईटी पुलिस टीम थाना सिहानी गेट पुलिस टीम /थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 42 पव्वे अवैध शराब बरामद।

आज दिनांक 20.07.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्त दिलदार पुत्र दिलशाद निवासी मुरमुरा कॉलोनी, निकट अल्फारा मस्जिद, थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद स्थायी पता दौलतपुर कलां यूनिसपुर थाना सियाना बुलन्दशहर, उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 42 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद हुयी जिसके संबंध में अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं यह अवैध देशी शराब सस्ते दामों में खरीदकर उसे आने जाने वाले लोगो को महंगे दामों पर बेच कर मुनाफा कमाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दिलदार पुत्र दिलशाद निवासी मुरमुरा कालोनी, निकट अल्फारा मस्जिद, थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद स्थायी पता दौलतपुर कलां यूनिसपुर थाना सियाना बुलन्दशहर, उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 42 पव्वे अवैध देशी शराब बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 07.06.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त इमरान कुरैशी पुत्र अनीस निवासी रावली रोड छोटा बिजली घर निकट काली मस्जिद मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा वादिया के साथ होटल में ले जाकर पानी में मिलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर वादिया के साथ दुष्कर्म करना, वीडियो बनाना, ब्लैकमेल कर कुंडल, 10 हजार रूपये नगद ले लेना, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देना तथा जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 64/123/308(2)/351(3) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 20.07.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटैज, सर्विलांस व मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त इमरान पुत्र अनीस निवासी रावली रोड़ छोटा बिजली घर निकट काली मस्जिद मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन से धारा- 123 बीएनएस का होना नहीं पाया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं वादिया को पूर्व से जानता हूँ, मैंने उसे बैंक का लोन कराने का झूठा वादा कर होटल में ले जाकर व अपने घर पर बुलाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाये थे। मैंने उसकी अश्लील वीडियो बना ली थी, मैं उसे बार बार बुलाता था जब उसने मिलने से मना कर दिया तो मैंने उसकी वीडियो वायरल कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभियुक्त इमरान पुत्र अनीस निवासी रावली रोड़ छोटा बिजली घर निकट काली मस्जिद मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 5010/- रुपये तथा 52 ताश के पत्तों की गड्डी बरामद।

आज दिनांक 20.07.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्त 1.वसीम उर्फ मुन्ना पुत्र सलीम अहमद निवासी निकट फातिमा मस्जिद, अल्वी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद 2. नूर मोहम्मद उर्फ नूरा

पुत्र अली मोहम्मद निवासी एच ब्लॉक बुद्ध नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 5010/- रुपये तथा 52 ताश के पत्तों की गड्डी बरामद हुयी जिसके संबंध में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना अंकुर विहार पर जुआ अधिनियम की धारा- 13 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग अपने शौक पूरा करने तथा ज्यादा पैसा कमाने के लालच में ताश के पत्तों के साथ जुआ खेलते है, आज भी हम जुआ खेल रहे थे कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. वसीम उर्फ मुन्ना पुत्र सलीम अहमद निवासी निकट फातिमा मस्जिद, अल्वी नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 46 वर्ष
2. नूर मोहम्मद उर्फ नूरा पुत्र अली मोहम्मद निवासी एच ब्लॉक बुद्ध नगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 38 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से कुल 5010/- रुपये तथा 52 ताश के पत्तों की गड्डी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान के 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से दिल्ली से चोरी 01 मोटरसाइकिल ग्लैमर डिस्क बरामद।

कार्यवाही का विवरण: -आज दिनांक 20.07.2026 को थाना लिंक रोड पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त नीतीश उर्फ नितिश राणा पुत्र सियाराम निवासी गोल्डन पैलेस के पास,दिलीप के मकान मे किरायेदार खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियबाद मूल पता ग्राम मुकावा थाना मुकावा जिला नालन्दा बिहार उम्र करीब 27 वर्ष को पैसिफिक मॉल के पास चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूंछताछ में बताया कि साहब मै गाजियाबाद, नोएडा दिल्ली के आसपास क्षेत्र में मोटर साइकिल चोरी करता हूँ और चोरी के बाद मोटर साइकिलों को बेचकर मै अपना खर्चा चलाता हूँ जो यह

ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद हुई है यह मोटर साइकिल को भी मेने महरौली दिल्ली से चोरी की थी जिसे मै बस स्टैडं के आसपास चलते फिरते किसी व्यक्ति को बैचने जा रहा था कि आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

- नीतीश उर्फ नितिश राणा पुत्र सियाराम निवासी गोल्डन पैलेस के पास,दिलीप के मकान मे किरायेदार खोडा कालोनी थाना खोडा जनपद गाजियबाद मूल पता ग्राम मुकावा थाना मुकावा जिला नालन्दा बिहार उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः

- दिल्ली से चोरी 01 मोटरसाइकिल ग्लैमर डिस्क बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली,गाजियाबाद, नोएड़ा में चोरी करने,लूट,गैंगस्टर एक्ट के 10 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ई-रिक्शा मे बैठी एक बुजुर्ग महिला के गले से चैन चोरी करने वाली 01 अभियुक्ता गिरफ्तार व 01 बालअपचारी पुलिस अभिरक्षा में व कब्जे से पीली धातु के 02 टुकडे वजन 4.140 ग्राम व 5.870 ग्राम कुल 10.01 ग्राम बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण / कार्यवाही - दिनांक 07.07.2026 को थाना इंदिरापुरम पर वादी श्री राम प्रवेश राय निवासी- A GULMOHAR GREEN मोहन नगर गाजियाबाद द्वारा अभियुक्ता ई रिक्शा सवार महिला यात्री नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की पत्नी की सोने की चैन चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में अज्ञात महिला के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0सं0-560/2026 धारा- 303(2)बीएनएस अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये उक्त घटना को कारित करने वाली अभियुक्ता कुन्ती उर्फ रुबी पत्नी राकेश नि0 ग्राम नहरौली थाना छायसा जिला फरीदाबाद हरियाणा उम्र 30 वर्ष को दिनांक 20.07.2026 समय 10.43 बजे सी0आई0एस0एफ कट से गिरफ्तार किया गया है। व बालअपचारी व पुलिस अभिरक्षा में लिया गया व कब्जे से पीली धातु के टुकडे वजन 4.140 ग्राम व 5.870 ग्राम कुल 10.01 ग्राम बरामद कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्ता व बालअपचारी से पूछताछ की गयी तो बताया कि हम दोनों ने दिनांक- 26/06/2026 को शिप्रा माल के सामने से ई-रिक्शा मे बैठी एक बुजुर्ग महिला के गले से चैन चोरी कर ली थी हम दोनों ने उस चैन को बेचने का प्रयास किया लेकिन कही नही बेच सके इसलिए हम दोनों ने उस चैन को पिघला कर दो टुकडो में बाँट लिया था आज फिर

हम दोनो ऐसे ही चलते फिरते ई-रिक्शा का इंतजार कर रहे थे तथा इन सोने के टुकडो को भी हम लोग आज बेचने आये थे।

गिरफ्तार/ पुलिस हिरासत मे ली गई अभियुक्ता का नाम व पता –

- अभियुक्ता कुन्ती उर्फ रुबी पत्नी राकेश नि0 ग्राम नहरौली थाना छायसा जिला फरिदाबाद हरियाणा उम्र 30 वर्ष।
- बालअपचारी

आपराधिक इतिहास

- अभियुक्ता कुन्ती उर्फ रुबी के विरूद्ध -

1. मु0अ0सं0- 202/2023 धारा- 379/411 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर,
2. मु0अ0सं0-504/2026 धारा- 319(2) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम
3. मु0अ0सं0-560/2026 धारा- 303(3) बीएनएस थाना इन्दिरापुरम पंजीकृत है।

- बालअपचारी के विरुद्ध

1. मु0अ0सं0- 560/2026 धारा- 303(3) बीएनएस पंजीकृत है।

बरामदगी

- पीली धातु के टुकडे वजन 4.140 ग्राम व 5.870 ग्राम कुल 10.01 ग्राम।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

- थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम